



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236937
CG-DL-E-01072022-236937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2810]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944

No. 2810]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का.आ. 2953(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में जनगाँव-दुद्देडा रोड सेक्शन पर) NH-365B के कि.मी. 86.160 से कि.मी. 131.730 (पूर्व कि.मी. 0.00 से कि.मी. 46.400, रेवेन्यु डिवीज़न ऑफिस, सिद्दीपेट) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/ 2-लेन/4-लेन पेव्ड शोल्डर सहित का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेन्यु डिविशनल ऑफिसर, सिद्दीपेट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में NH-365B के कि.मी. 86.160 से कि.मी.131.760(पूर्व कि.मी. 0.00 से कि.मी. 46.400, रेवेन्यु डिवीज़न ऑफ़िस, सिद्दीपेट)तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: सिद्दीपेट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चेरियाल					
गांव का नाम: मुस्तयाला					
1	268	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	175.0000000(वर्ग मीटर)	0.0175000
2	269	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	6,272.0000000(वर्ग मीटर)	0.6272000
3	310	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	150.0000000(वर्ग मीटर)	0.0150000
कुल				6,597.0000	0.6597

[फा. सं. S.O.3514 (E) Dated 23-11-2016/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

S.O. 2953(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/two-lane with paved shoulder/four laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-365B in the stretch of land from Km 86.160 to Km 131.730 (old Chainage from km 0.00 to 46.400, Revenue Division Office, Siddipet) Jangaon-Duddeda Road section of NH-365B, in the district of Siddipet in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Siddipet in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an

opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-365B in the stretch of land from Km 86.160 to Km 131.730 (old Chainage from km 0.00 to 46.400, Revenue Division Office, Siddipet) in the district of Siddipet in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: SIDDIPET			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Cherial					
Village: Mustyala					
1	268	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	175.0000000(Square Meter)	0.0175000
2	269	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	6,272.0000000(Square Meter)	0.6272000
3	310	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	150.0000000(Square Meter)	0.0150000
Total				6,597.0000	0.6597

[F. No. S.O.3514 (E) Dated 23-11-2016/3A2]

RAJESH GUPTA, Director